न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 61/2019/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. परशुराम पुत्र हनुमानाराम जाति जाट निवासी ग्राम बासडी कला (जीणमाता) तह0 दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

— प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये— तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—अप्रार्थी

<u>आवेदन अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act.</u>

उपस्थिति—

1. श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम, वकील प्रार्थी ओर सें।

निर्णय दिनांक —04.02.2020

1. आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि कृषि भूमियां ख.नं. 743, 744 किता 2 कुल रकबा 3.4600 है0 एवं कृषि भूमियां ख.नं. 715, 716, 717 किता 3 कुल रकबा 3.4400 है0 वाके ग्राम बासडी कला पटवार हल्का जीणमाता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी/आवेदक के हक, हिस्से की खातेदारी परसा पुत्र हनुमान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं कृषि भूमियां ख.नं. 458 किता 1 रकबा 2.5500 है0 एवं कृषि भूमियां ख.नं. 455, 456 किता 2 कुल रकबा 0.2300 है0 ग्राम बासडी खुर्द पटवार हल्का जीणमाता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी/आवेदक के हक, हिस्से की खातेदारी परसाराम पुत्र हनुमानाराम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस प्रकार प्रार्थी/आवेदक के नाम से बासडी कला व बासडी खुर्द की भूमियों में परसा पुत्र हनुमान व परसाराम पुत्र हनुमानाराम दर्ज है। जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम परशुराम पुत्र हनुमानाराम है। प्रार्थी को दोनो ही नाम यथा परसाराम व परशुराम के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा— परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजात, आर.ए.सी. सेवा एवं

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

रिटायरमेन्ट एवं अन्य समस्त रिकार्ड में परशुराम ही दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मद संख्या एक के अनुसार गलत रूप से परसा व परसाराम दर्ज है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है व प्रार्थी को यह रिकार्ड दुरूस्ती का आवेदन पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी कई बार–बार अप्रार्थी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों से निवेदन कर चुका है परन्तु आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। सम्बन्धित समस्त दस्तावेज संलग्न प्रार्थना–पत्र है एवं मुताबिक अन्य रिकार्ड प्रार्थी के नाम को दुरूस्त कर सही रूप से परशुराम पुत्र हनुमानाराम दर्ज किया जाना न्याय संगत है। वाद कारण अरसा करीब 10–12 रोज पूर्व अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्ममारियों व अधिकारियो द्वारा आवेदक का नाम दुरूस्त करने से इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। वर्णित कृषि आराजियात वाके ग्राम बासडी कला व बासडी खुर्द पटवार हल्का जीणमाता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित होने से माननीय न्यायालय को आवेदन सुनवाई का समुचित क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार हासिल है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित कृषि आराजियात में प्रार्थी का नाम परसा पुत्र हनुमान व परसाराम पुत्र हनुमानाराम को दुरूस्त कर सही व वास्तविक रूप से ''परशुराम पुत्र हनुमानाराम'' संशोधित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट पर बहस सुनी गई।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी तथा अन्य दस्तावेजों में एकरूप नहीं है अतः **प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, तहसीलदार रिपोर्ट, प्रस्तुत शपथपत्र के आधार पर प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बासडी कला**

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

पटवार हल्का जीणमाता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि ख.नं. 743, 744 किता 2 कुल रकबा 3.4600 है0 एवं कृषि भूमियां ख.नं. 715, 716, 717 किता 3 कुल रकबा 3.4400 है0 एवं ग्राम बासड़ी खुर्द पटवार हल्का जीणमाता की भूमि खसरा नम्बर 458 किता 1 रकबा 2.5500 है0, खसरा नम्बर 455, 456 किता 2 कुल रकबा 0.2300 है0 में प्रार्थी का नाम परसा पुत्र हनुमान व परसाराम पुत्र हनुमानाराम के स्थान पर परशुराम पुत्र हनुमानाराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ